

बिज़नेस भास्कर

Business Standard और TheEconomist की खबरों के साथ

ग्लोबल शिफ्ट • महंगाई से संपत्ति बचाने, नुकसान से बचाव और बिजनेस-लाइफस्टाइल में विविधता लाने के लिए विदेश में बसना पसंद कर रहे ज्यादातर अमीर 74% भारतीय उद्यमी विदेश में रहने की योजना बना रहे, यह वैश्विक औसत 70% से भी ज्यादा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारतीय उद्यमियों की सोच बदल रही है। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 74% अमीर कारोबारी विदेश में बसने या वहां दूसरा ठिकाना (अतिरिक्त रेजिडेंसी) बनाने की योजना बना रहे हैं। यह वैश्विक औसत 70% से भी अधिक है। कारोबार और लाइफस्टाइल में वैश्विक विविधता (35%) लाना इसकी मुख्य वजह बताई गई है। 47% उद्यमी महंगाई से बचाव और 43% संपत्ति की सुरक्षा के लिए दूसरे देश जा रहे हैं। विदेश में बसने के लिए इसकी पहली पसंद सिंगापुर है, जिसके बाद यूरोप के देशों और अमेरिका का नंबर आता है।

नई सोच: आधे से ज्यादा भारतीय बिजनेसमैन टनओवर का 30 फीसदी तक हिस्सा 1 साल में एआई पर खर्च करने की तैयारी में

पसंद • 14% कारोबारियों की पहली पसंद सिंगापुर	99% भारतीय उद्यमी एआई के मुताबिक अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रहे हैं। (वैश्विक औसत 95%)	65% कारोबारी एआई के प्रभाव से निपटने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। (वैश्विक औसत 60%)	54% की टनओवर का 11-30% हिस्सा 1 साल में एआई पर खर्च करने की योजना है। (वैश्विक औसत 61%)	54% कारोबारियों को एआई पर 'बहुत अधिक' भरोसा है। यह बड़ा बदलाव है। (वैश्विक औसत 46%)
---	--	--	--	--

उम्मीद • 97% अमीरों को संपत्ति बढ़ने का भरोसा

देश के 97% उद्यमियों को भरोसा है कि आने वाले समय में उनकी संपत्ति बढ़ेगी। (2025 में 95% या, वैश्विक औसत 90%)

इनमें से 51% को संपत्ति में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। (वैश्विक स्तर पर यह उम्मीद 44%)

97% उद्यमी अपने मौजूदा बिजनेस को लेकर भी बेहद पॉजिटिव नजरिया रखते हैं। (वैश्विक औसत 95%)

निवेश • पहली पसंद बना सोना और कैश... भारतीय कारोबारी अपने पैसों को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए अलग-अलग जगह निवेश कर रहे हैं।

आंकड़े % में

63 सोना	54 कैश	51 रियल एस्टेट फंड	48 प्राइवेट इक्विटी फंड
---------	--------	--------------------	-------------------------

चिंताएं • डेटा सिक्कुरिटी बढ़ी चुनौती...

एआई लागू करने में डेटा प्राइवसी और सिक्कुरिटी जोखिम (44%), नौकरी जान के डर से कर्मचारियों का विरोध (38%) और पुराने सिस्टम में बिना स्कॉप्ट एआई जोड़ना (35%) सबसे बड़ी चिंताएं हैं।

सुरक्षा • मौजूदा संपत्ति बचाने पर फोकस बढ़ा

अपनी मौजूदा संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कारोबारियों का ध्यान तीन मुख्य चीजों पर है: 47% का मकसद वित्तीय संपत्ति को महंगाई से बचाना है। 43% लोग संपत्ति को नुकसान या घाटे से सुरक्षित रखना चाहते हैं। 35% वैश्विक स्तर पर निवेश में विविधता लाना चाहते हैं।

चुनौती • पारदर्शिता और लिविडिटी की कमी

अट्रैक्टिव एसेट्स में निवेश को लेकर कारोबारियों की मुख्य चिंताएं हैं: 39% को एसेट्स के वैल्यूएशन में पारदर्शिता की कमी खलती है। 38% ज्यादा मैनेजमेंट फीस और लाभांश से निराश हैं। 36% को बाजार गिरने का डर है। 36% सॉलिट लिक्विडिटी (नकदी की कमी) को चुनौती मानते हैं।

लंबी अवधि में एआई से बिजनेस ग्रोथ की संभावना

भारतीय उद्यमी बड़ी महत्वकांक्षा के साथ एआई अपना रहे हैं। वे इसकी क्षमता को समझते हैं और एआई पर भरोसे व वैश्विक सोच के बल पर टेक्नोलॉजी को लंबी अवधि की ग्रोथ में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

-संदीप बत्रा, हेड (इंटर्नेशनल केल्च एंड प्रोफेशनल बैंकिंग), एचएसबीसी इंडिया

आपत्ति • श्रीनिवासन ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के कामकाज की जांच की मांग उठाई टाटा संस: अंदरूनी तनातनी बढ़ी; नोएल के खिलाफ जांच, लिस्टिंग पर टकराव

भास्कर नज़्म | मुंबई

श्रीनिवासन की चैरिटी कमिश्नर से चार प्रमुख मांगों और आपत्तियां

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड का मौजूदा गणित

नोएल के पक्ष में 4 डायरेक्टर	वेणु के पक्ष में 2 डायरेक्टर
-------------------------------------	-------------------------------------

नोएल टाटा, नैविल टाटा, दरियस खंबाटा, भास्कर भट

वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह

1. ट्रस्टियों के निरुत्थान या हटाने तक की कार्यवाई

2. टाटा संस के नामिनी से जुड़े फैसलों में नोएल को भागीदारी और वोटिंग पर रोक

3. नोएल के बेटे नैविल की नियुक्ति पर आपत्ति

4. जांच पूरी होने तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए

नोएल को उम्मीद

रिजर्व बैंक की लिस्टिंग पर नाए सिरे से विचार करेगा टाटा ट्रस्ट की अंदरूनी जंग दो नियामकों के पाले में है। नोएल टाटा रिजर्व बैंक को टाटा संस की लिस्टिंग पर मानाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर टाटा ट्रस्ट की भूमिका परख रहे हैं। ट्रस्ट ने दो अनलिस्टेड कंपनियों को टाटा संस में मिलाता का प्रस्ताव दिया है। इससे यह लिस्टिंग से बच सकती है। इस बीच नोएल ने उम्मीद जताई कि आरबीआई उनका पक्ष दोबारा सुनेगा।

अहम सवाल

क्या कंपनी का बोर्ड नोएल टाटा का प्रस्ताव मान लेगा? प्रस्ताव की एक कॉपी आरबीआई को भेजी गई है। इसे पहले टाटा संस के बोर्ड से पास होना है, जो चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर ट्रस्ट से पिछड़ा है। बोर्ड आरबीआई के लिस्टिंग वाले निर्देश का समर्थन कर चुका है। हालांकि नोएल ने आरबीआई की मंजूरी के सवाल पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बोर्ड जरूरी बदलाव करके नियामक से बात करेगा।

आगे क्या

मामले पर चैरिटी कमिश्नर की नजर, अमी दो पड़ताल 16 सितंबर का पत्र: यह एसडीटीटी का स्कूलर प्रस्ताव था, जिसे नोएल ने मंजूरी दी थी। इसका मकसद श्रीनिवासन को टाटा संस के बोर्ड की चर्चा से दूर रखना था। चैरिटी कमिश्नर का दफ्तर देख रहा है कि प्रोफेसर की संस्था का ऐसा पत्र यदि कारोबारी फैसले को प्रभावित करे, तो क्या यह नियम के खिलाफ है।

बिजनेस प्लस

किसना के साथ खरीदारी पर 576 स्कूटी और 247 कारों जीतने का मौका

मुंबई | हरी कृष्णा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने लगातार तीसरे वर्ष अपने लोकप्रिय 'Shop Sparkle Win Campaign' की शुरुआत की है। देशभर के 218 शहरों में चल रहे इस अभियान के तहत ग्राहकों को ज्वेलरी खरीदारी के साथ 576 स्कूटी और 247 शानदार कारों जीतने का अवसर मिल रहा है। अभियान के तहत 25,000 या उससे अधिक की डायमंड ज्वेलरी अथवा 75,000 या उससे अधिक की गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक, लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं।

देशभर के कई किसना स्टोर्स पर लकी ड्रॉ की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पहले चरण में 288 ग्राहकों को स्कूटी, जबकि अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह में 288 और ग्राहकों को स्कूटी जीतने का अवसर मिलेगा। इसके बाद दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले मेगा लकी ड्रॉ में 247 ग्राहकों को शानदार कारों जीतने का मौका मिलेगा।

सार्वजनिक सूचना

संघदा अधिकारी, एचएसबीसी सोनियापत के समक्ष विषय: आरटी बीएमपी कानूना देवी की विना वसीयत वसूल के उपरान्त निर्मित सम्पत्ति दुकान नं० 33, सेक्टर- 12, पार्क-आ, सोनियापत का स्वास्थि के रूप में हस्तांतरण।

रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित सम्पत्ति के आरटी बीएमपी कानूना देवी की 28-02-2019 को वसूल हो गई है तथा उनकी कोई पंजीकृत या अप्रजिंकृत वसीयत नहीं है तथा उनके निम्नलिखित कानूनी वारिस हैं- 1. वनं तारा (पत्नी) 2. वनंजीत वर्मा (पुत्र) 3. पुत्री (पुत्री) 4. कविता (पुत्री)।

यसोबत वनं व पुत्री व दोनों पुत्र वनं पाल दोनो निवासी नं० 1595, सेक्टर-14, HBC, पानी पोख, सोनियापत (हरियाणा) न उक्त सम्पत्ति को कानूनी वारिस होने के नाते अपने नाम में हस्तांतरित करने का आदेश व पुनः अलॉटमेंट मयनित कानं व पुत्री के नाम में करने की निती की है।

यदि किसी व्यक्ति को कथित सम्पत्ति के हस्तांतरण संबंधी कोई एलान हो तो यह वसूल प्रमाण के प्रदान की तिथि से 30 दिन के भीतर लघुचल अधिकारी HSBMP सोनियापत के कार्यालय में उचित प्रमाण सहित लिखित रूप में अपने दायज के अनुसार प्रमाणित उक्त सम्पत्ति को समयाधिकारिकी अर्पण की HSBMP निहित के अनुसार हस्तांतरण पुनः अलॉटमेंट कर दिया जायेगा और बाद में किसी दोष पर विचार नहीं किया जायेगा।

वसोबत कानूनी, पुरातन काजूजी वरिड, कानूना अधिकारी की ओर से

पंजाब नैशनल बैंक

...जिस नाम पर आप भरोसा कर सकते हैं!

कॉर्पोरेट ऑफिस: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच, SCO: 21, 22, पहली मंजिल, सेक्टर 12, करनाल ईमेल: cs8260@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों के लिए ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी की तारीख और समय: 27.10.2026 (मंगलवार) सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8(6) के प्राधान्य के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना।

इसके द्वारा आम जनता को क्या विशेष रूप से उभारना (यों) एवं गारंटर (यों) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / भारित है, जिसका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा / सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उससे संबंधित ऋणी(यों) एवं गारंटर (यों) से बैंक / सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित वित्तीय को "जैसा है जहाँ है", जैसी है जो है तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। ऋणी(यों) एवं गारंटर (यों) से बैंक/सुरक्षित लेनदार का बकाया वसूला जा सके। आरक्षित मूल्य तथा बचाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका के अनुसार उल्लिखित होगी।

सुरक्षित पटिसंपत्तियों की अनुसूची

शाखा का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण (गिरी रबी गई / मालिक का नाम) (संपत्तियों के गिरी रखने वाले)	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	ए) आरक्षित मूल्य (यों) ईएमडी (यों) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तारीख एवं समय
1. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	वीर सिंह कॉलोनी, निसिंग, खिला कर्नाल - 132024 का पत्र: यह एसडीटीटी का स्कूलर प्रस्ताव था, जिसे नोएल ने मंजूरी दी थी। इसका मकसद श्रीनिवासन को टाटा संस के बोर्ड की चर्चा से दूर रखना था। चैरिटी कमिश्नर का दफ्तर देख रहा है कि प्रोफेसर की संस्था का ऐसा पत्र यदि कारोबारी फैसले को प्रभावित करे, तो क्या यह नियम के खिलाफ है।	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 19,78,000.00 B) रु. 1,97,800.00 C) रु. 10,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
2. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	रिहासली मकान नं. सी-4/1082 प्रॉपर्टी ID नंबर 126C81U215 और नई प्रॉपर्टी ID नंबर 1KTCQ338 का दक्षिणी हिस्सा, जिसका माप 166 वर्ग मीटर है और जो डायन स्ट्रीट, जगाधरी यमुनानगर-जगाधरी म्यूनिसिपल लिमिटेड, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर में स्थित है। यह प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सैल डीड नंबर 972 गिरावट 09.04.1959, रजिस्ट्रेशन तारीख 25.01.1960 के तहत श्री मदन लाल पुत्र कुरेशन चंद के नाम पर थी, जिसके कानूनी वारिसों का रजिस्ट्रेशन सन-रजिस्ट्रार, जगाधरी के पास लिखित रूप से किया गया है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - 45°/श्रीमती मीना रानी की संपत्ति का हिस्सा, दक्षिण - 45°/श्री अर्जुन की संपत्ति, पूर्व - 33°3' जैन मंदिर आदि, पश्चिम - 33°3' /श्रीमती अनीता गौल की संपत्ति।	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 16,14,000.00 B) रु. 1,61,400.00 C) रु. 10,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
3. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,47,25,000.00 B) रु. 14,72,500.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
4. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
5. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
6. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
7. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
8. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
9. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
10. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
11. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
12. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
13. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
14. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
15. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
16. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
17. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
18. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
19. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
20. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
21. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
22. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
23. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
24. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
25. शाखा - एआरएमबी, कर्नाल	मैसर्स पैराडाइज प्रिंट पैक (पार्टनरशिप फर्म), गांव बदनपुरी, तहसील रादौर, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001	ए) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि (यों) इस तिथि तक बकाया राशि की सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (यों) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	A) रु. 1,43,56,000.00 B) रु. 14,35,600.00 C) रु. 1,00,000.00	27.10.2026 सु